FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **जमनी बनाम हरिराम** **दीवानी विविध प्रकरण संख्या – 19/2023 (31/2021)** **सीआईएस संख्या – 31/2021**	Brief note of Compliance of Order
13.02.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किए कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा जो विवाद्यक विरचित किए गए उनमें विवाद्यक बिन्दू संख्या 2 '' आया प्रतिवादी द्वारा उधार राशि अदा नहीं करने पर करार दिनांक 24.02.2019 से वादिया 1 प्रतिशत प्रति माहवर दर से ब्याज जोड़कर कुल राशि 10,32,000/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी है'' विरचित किया गया है जबकि उक्त विवाद्यक वाद पत्र के अनुसार सही रूप से विरचित नहीं किए गए है क्योंकि करार दिनांक 24.02.2019 का नहीं है बल्कि दिनांक 24.08.2018 का है। अतः विवाद्यक बिन्दू संख्या 2 इस प्रकार से विरचित किया जाना चाहिए कि '' आया प्रतिवादी द्वारा उधार राशि अदा नहीं करने पर करार दिनांक 24.08.2018 से 6 माह की अवधि अवसान होकर दिनांक 24.02.2019 से वादिया 1 प्रतिशत प्रति माहवर दर से वाद संस्थन दिनांक तक ब्याज जोड़कर कुल राशि 10,32,000/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी है।'' अतः ऐसी स्थिति में उक्त अभिवचनों अनुसार उक्त उक्त विवाद्यक में संशोधित किए जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किए कि दिनांक 24.08.2018 को वादिया ने प्रतिवादी को कोई राशि राशि नहीं दी तो 6 माह की कालावधि अपवर्जित करने के पश्चात 1 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उक्त इकरारनामा छल कपट से लिखा गया है। संशोधित तनकी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकी संख्या 2 इस प्रकार से विरचित की गई है कि "आया प्रतिवादी द्वारा उधार राशि अदा नहीं करने पर करार दिनांक 24.02.2019 से वादिया 1 प्रतिशत प्रति माहवर दर से ब्याज जोड़कर कुल राशि 10,32,000/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उक्त विवाद्यक को वादी ने इस आधार पर संशोधित किए जाने का निवेदन किया है कि करार दिनांक 24.02.2019 का नहीं होकर के दिनांक 24.08.2018 का है तथा उसके अनुसार प्रस्तावित संशोधित विवाद्यक "आया प्रतिवादी द्वारा उधार राशि अदा नहीं करने पर करार दिनांक 24.08.2018 से 6 माह की अवधि अवसान होकर	

	दिनांक 24.02.2019 से वादिया 1 प्रतिशत प्रति माहवर दर से वाद संस्थन दिनांक तक ब्याज जोड़कर कुल राशि 10,32,000/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारिणी है।'' विरचित किए जाने का निवेदन किया। इस संबंध में वादपत्र का अवलोकन किया जाए तो वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी द्वारा वादी से 8 लाख रूपये दिनांक 24.08.2018 को जरिये इकरारनामा उधार लिए जाने का कथन किया है तथा उक्त इकरारनामा में 8 लाख रूपये नगद दिनांक 24.08.2018 से 6 माह तक दिनांक 24.02.2019 की अवधि वास्ते बिना ब्याज की दर से प्रथम पक्षकार को दिए जाने का अंकन किया है। वादपत्र के पैरा संख्या 6 में मूल राशि 8 लाख रूपये, ब्याज दिनांक 24.08.2018 से 6 माह अवधि अपवर्जित करने के पश्चात दिनांक 24.02.2019 से दिनांक 23.07.2021 तक 2 वर्ष 5 माह की 1 प्रतिशत माहवार की दर से कुल 2, 32,000/– रूये कुल योग 10,32,000/– रूपये दिलाए जाने का निवेदन किया गया है। वादी ने तनकीयात में संशोधन चाहा है उसमें इकरारनामा दिनांक गलत अंकित होना बताया गया है जो वादपत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायायल द्वारा जो विवाद्यक विरचित किया या है उसमें दिनांक 24.02.2019 उल्लेखित है जबकि वास्तविक दिनांक 24.08.2018 है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त संशोधन किया जाना उचित है। जहाँ तक वादी द्वारा दिनांक 24.02.2019 से वादिया 1 प्रतिशत प्रति माहवर की दर से वाद संस्थन दिनांक तक ब्याज जोड़कर कुल 10,32,000/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी होना बताया है तो इस संबंध में वादपत्र के पैरा संख्या 6 में ब्याज की राशि दिनांक 24.08.2018 से 6 माह अवधि अपवर्जित करते हुए दिनांक 24.02.2019 से दिनांक 23.07.2021 तक ब्याज जोड़ने का उल्लेख किया गया है। जब वादी ने अपने वाद में दिनांक 24.02.2019 से दिनांक 23.07.2021 तक 2 वर्ष 5 माह की 1 प्रतिशत माहवार की दर से मांगते हुए कुल ब्याज के 2,32,000/– रूपये एवं मूल सहित 10,32,000/– रूपये का अनुतोष चाहा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तावित तनकी में प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधित तनकी की वाद संस्थित दिनांक तक ब्याज जोड़े जाने के संबंध में दिनांक संशोधित नहीं की जा सकती। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विवाद्यक बिन्दू संख्या 2 के स्थान पर निम्न विवाद्यक प्रतिस्थापित किए जाने का आदेश दिया जाता है – "आया प्रतिवादी द्वारा उधार राशि अदा नहीं करने पर करार दिनांक 24.08.2018 से 6 माह की अवधि अवसान होकर दिनांक 24.02.2019 से दिनांक 23.07.2021 तक एक प्रतिशत प्रति माहवार की दर से कुल ब्याज 2,32,000/– रूपये जोड़कर कुल राशि 10,32,000/– रूपये वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।'' तथा पूर्व में विवाद्यक संख्या 2 पर लाल स्याही से डिलीट किए जाने का अंकन किया जावे तथा संशोधित विवाद्यक संख्या 2 पृथक से विरचित किया जावे। एतद्द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 24.02.2025 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	